

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनाद्वारा डाक व्यवस्था पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत्त.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीनन
म. प्र. -108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2010—पृष्ठ 21, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग

संभालय, लल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2010

क्र. एफ. 6-1-2002-आप्र.-एफ.—मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एलद्वारा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4-ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्,—

"4-ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध.—यदि आवेदक जिला रबोपुर, बुर्गु, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर में सहारिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डीरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर में बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति का है, संविदा शाखा शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये आवेदन करता है, और विहित को गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अकीला हशमत, उपायुक्त.

अनुमानित अभिलेखी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(आरक्षण प्रकोष्ठ)

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 अगस्त 2014—श्रावण 11, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, चतुर्भुज भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2014

क्र. एफ-6-1-2002-आप्र-एक.—मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“4-ख. आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध.—यदि आवेदक जिला श्योपुर, भुरना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डीरी, सहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला सिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, अथवा जिला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या कर्मक्षक (कार्यपालक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(आरक्षण प्रकोष्ठ)